राजस्थान सरकार
वित्त (बजट) विभाग

क्रमांक : प.4(38)वित्त–1(1)/आ.व्य./2016 जयपुर, दिनांक : 17 अक्टूबर, 2016

समस्त प्रशासनिक विभाग/
बजट नियंत्रण अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए आय–व्ययक अनुमान तैयार करने हेतु दिशा निर्देश।

आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए आय–व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए संशोधित अनुमानों के प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में बजट परिपत्र जारी किया जा चुका है।

वर्ष 2016–17 के बजट अनुमानों में व्यय का प्रावधान आयोजना तथा आयोजना भिन्न के अन्तर्गत पृथक–पृथक किया गया है। अतः वर्ष 2016–17 संशोधित अनुमानों में भी व्यय का प्रावधान आयोजना तथा आयोजना भिन्न के रूप में ही किया जावेगा। वित्तीय वर्ष 2017–18 से व्यय का प्रावधान आयोजना तथा आयोजना भिन्न में नहीं किया जाना है।

चालू वर्ष के संशोधित अनुमान तथा आगामी वर्ष के बजट अनुमान के प्रस्ताव बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा एक साथ ही प्रस्तुत किए जाते हैं। बजट नियंत्रण अधिकारियों को बजट प्रस्ताव तैयार करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो इस हेतु यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष भी आयोजना भिन्न तथा आयोजना व्यय के लिए पूर्वानुसार पृथक–पृथक बी.एफ.सी. आयोजित की जावेगी तथा वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान भी वर्ष 2016–17 के संशोधित अनुमानों के साथ क्रमशः प्रतिबद्ध व्यय एवं योजनाओं पर व्यय के रूप में अनुमोदित किए जाएंगें। इस प्रकार अनुमोदित किए गए बजट अनुमानों को समेकित करने की कार्यवाही IFMS के माध्यम से NIC द्वारा की जावेगी। बजट नियंत्रण अधिकारियों के लिए बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने व बजट निर्णायक समितियों द्वारा बजट अनुमान अनुमोदित करने की प्रक्रिया पूर्व अनुसार ही रहेगी।

वर्तमान में योजनाओं की मैपिंग बजट हैड्स के साथ की हुई है जिससे योजनाओं पर होने वाले व्यय की गणना आयोजना व आयोजना भिन्न के मध्य व्यय का वर्गीकरण

नहीं किए जाने के बाद भी की जा सकती है। कुछ ऐसे बजट मद है जिनमें वर्तमान में आयोजना तथा आयोजना भिन्न दोनों के लिए प्रावधान किए जाते हैं। योजनाओं पर होने वाले व्यय की गणना करने की दृष्टि से जिन बजट शीर्षों में वर्ष 2016–17 में आयोजना एवं आयोजना भिन्न (दोनों) मदों में प्रावधान किया हुआ है, उनमें वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने हेतु प्रतिबद्ध व्यय के लिये नवीन बजट शीर्ष खुलवा कर वर्ष 2017–18 हेतु बजट अनुमान के प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हैं। ऐसे बजट शीर्ष जिनमें आयोजना एवं आयोजना–भिन्न दोनों में प्रावधान है उनकी सूची IFMS पर BFC unit wise उपलब्ध करा दी गई है। संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा इस सूची में सम्मिलित बजट शीर्षों में प्रतिबद्ध व्यय के लिए वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने हेतु नवीन बजट शीर्ष खुलवाया जाना अपेक्षित है। इसके लिए एक नया प्रपत्र (F-7A) IFMS के Downloads में उपलब्ध करा दिया गया है। जिसके समस्त columns की पूर्ति कर वित्त (व्यय) विभाग व वित्त (बजट) विभाग के संबंधित लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी तथा संयुक्त शासन सचिव से अनुमोदित कराकर IFMS helpdesk को उपलब्ध कराने पर नया बजट शीर्ष IFMS में खोल दिया जावेगा।

इस प्रकार खोले जाने वाले नये बजट शीर्ष खोलने के फार्म में नये बजट शीर्ष को पुराने बजट शीर्ष से link करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे जिससे पुराने बजट शीर्ष में स्वीकृत पद, वाहन, टेलीफोन आदि नये बजट शीर्ष में IFMS के माध्यम से हस्तांतरित किया जाना संभव हो सके।

राजस्व एवं पूंजीगत व्ययों हेतु प्रस्ताव प्रेषित करते समय प्रस्तावित प्रावधान की प्रकृति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर बजट प्रस्ताव प्रेषित किये जावें, यथा निर्माण कार्यों पर पूंजीगत तथा राजस्व व्यय के मध्य आवंटन के विद्यमान सिद्धान्तों के अनुसार यदि निर्माण कार्य नया है या इस प्रकृति का है कि किये जा रहे व्यय के फलस्वरूप विद्यमान परिसम्पत्ति के मूल्य में तात्विक (material) एवं स्थाई प्रकृति की वृद्धि हो तो इसके प्रावधान पूंजीगत व्यय के अधीन किये जावें। स्थाई प्रकृति की वस्तुओं/सम्पत्तियों के क्रय के लिए किये जाने वाले प्रावधान भी पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत ही प्रस्तावित किये जावें। अस्थाई प्रकृत्ति की सामग्री के क्रय, अनुरक्षण पर होने वाले व्यय एवं कार्यालय संचालन हेतु फुटकर व्ययों के लिए प्रावधान राजस्व व्यय मद में कराया जावे।

सम्पत्ति के निर्माण से संबंधित व्यय का प्रावधान पूंजीगत मद में कराया जाना है या राजस्व मद में इसका निर्धारण इस बात पर निर्भर होता है कि सम्पत्ति, जिसका निर्माण कराया जाना है या जिसके मूल्य में वृद्धि होगी, उस सम्पत्ति का स्वामित्व किसका है। यदि सृजित होने वाली सम्पत्ति का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित है तो व्यय का प्रावधान पूंजीगत मद में ही कराया जावेगा। यदि सृजित होने वाली सम्पत्ति का स्वामित्व स्थानीय निकाय अथवा स्वायत्तशासी संस्था का है तो राशि का प्रावधान विस्तृत मद

93 – परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु सहायतार्थ अनुदान में राजस्व व्यय के अन्तर्गत कराया जावेगा।

इसके साथ ही निम्न बिन्दुओं का भी ध्यान रखा जाना अपेक्षित है:–

1. मरम्मत संबंधी समस्त प्रावधान विस्तृत शीर्ष 21 – अनुरक्षण एवं मरम्मत में ही किया जावे। वर्ष 2017–18 के बजट अनुमानों में विस्तृत मद "55–अनुरक्षण स्थापना" के अन्तर्गत प्रावधान प्रस्तावित नहीं किया जावे इसमें किये जाने वाले प्रावधान का परीक्षण करें। इसका प्रावधान विस्तृत शीर्ष 01–संवेतन अथवा 02–मजदूरी के अन्तर्गत किया जावे। इसी प्रकार विस्तृत शीर्ष "54–अनुरक्षण सामग्री" में भी प्रावधान नहीं किया जा कर इसके स्थान पर विस्तृत शीर्ष 21–अनुरक्षण एवं मरम्मत में प्रावधान कराया जावे।

2. सहायतार्थ अनुदान के लेखांकन हेतु भारत सरकार द्वारा राजपत्र में दिनांक 19.05.2011 को प्रकाशित नियमानुसार Grants-in-aid का लेखांकन राजस्व व्यय शीर्ष में ही किया जावे। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत Grants-in-aid का प्रावधान नहीं किया जावे। अतः विस्तृत बजट शीर्ष 12, 90, 91, 92 व 93 में प्रावधान केवल राजस्व व्यय शीर्षों में ही कराया जावे।

3. सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के नियम 338 में अंकित प्रावधानानुसार पूंजीगत प्रकृति के व्यय का प्रावधान अनिवार्य रूप से पूंजीगत बजट शीर्षों में ही कराया जावे। विस्तृत शीर्ष 16 – लघु निर्माण, 17 – वृहद निर्माण एवं 72 – आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन व्यय के अंतर्गत बजट प्रावधान केवल पूंजीगत व्यय के रूप में ही किया जावे एवं राजस्व बजट शीर्षों में प्रावधान नहीं किया जावे। जिन विभागों के पूंजीगत मद में बजट शीर्ष नहीं खुले हुए हैं उन विभागों द्वारा आवश्यकतानुसार पूंजीगत मद में नये बजट शीर्ष खुलवाये जावें।

4. विस्तृत मद 28 – विविध व्यय के अंतर्गत प्रावधान अपवाद स्थिति में, जबकि उस व्यय का वर्गीकरण अन्य किसी विस्तृत मद में किया जाना संभव नहीं हो, तब ही किया जावे।

5. वर्ष 2016–17 में जिन मदों में सीधे ही लघु बजट शीर्षों (Minor Heads) के अन्तर्गत ही विस्तृत शीर्षों में प्रावधान किया गया है उनमें वर्ष 2017–18 के बजट अनुमानों में प्रतिबद्ध व्यय व योजनाओं पर व्यय के लिए पृथक–पृथक उप शीर्ष एवं ग्रुप शीर्ष अनिवार्य रूप से खुलवाये जाकर विस्तृत शीर्षों में बजट प्रावधान प्रस्तावित किया जावे।

6. आयोजना भिन्न एवं आयोजना व्यय के विभेद को समाप्त किये जाने के कारण, उपरोक्त बिन्दु संख्या–6 में उल्लेखित कारण अथवा अन्य किसी कारण से

विद्यमान बजट मद के एवज में कोई नया बजट मद खोलना प्रस्तावित किया जाता है तो प्रतिबद्ध (Committed/ Obligatory) व्यय के बजट मद खुलवाने हेतु प्रपत्र संख्या F-7A तथा योजनाओं (Schemes) से संबंधित व्यय के लिए बजट मद खुलवाने हेतु प्रपत्र संख्या F-7B का प्रयोग किया जावे। अन्यथा स्थिति में सामान्य प्रक्रिया के तहत बजट मद खोलने हेतु प्रपत्र F-7 में प्रस्ताव पूर्वानुसार प्रस्तुत किये जावेंगे।

वर्ष 2017–18 के बजट अनुमानों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उपर्युक्त दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

इस संबंध में वित्त विभाग सचिवालय में स्थिति हैल्प डैस्क (0141–5153222, Ext. 24449/24452) पर या e-mail के माध्यम से ifms-rj@nic.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

17/X

(नवीन महाजन)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC)।
5. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

निदेशक, वित्त (बजट)